तारांकित प्रश्न क्रमांक 4371 के "ग" अंश की जानकारी [24/3/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 4371]

# लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश


गौतम नगर, भोपाल–462023

ई मेल–est4-dpi@mp.gov.in


क्रमांक/स्था0–4/सी/80/अनु0नियु0/2020–21/103 भोपाल,दिनांक 25-01-

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:–अनुकंपा नियुक्ति नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष शिविर लगाये जाने बाबत।

संदर्भ:–संचालनालय का पत्र कं/स्था–4/सी/अनु.नियु/30/2018/1763–64 दिनांक 14.10.2019

--0--

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसमें अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का निराकरण म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी–12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दिये गये निर्देश के अनुसार किया जाने के निर्देश दिये गये थे किन्तु संदर्भित उक्त पत्र के अनुक्रम में आपके द्वारा कार्यवाही से अवगत नही कराया गया । कलेक्टर कार्यालयों के अधीनस्थ कार्यालयों में सहायक ग्रेड–3 का पद रिक्त नही होने के फलस्वरूप पुनः विभाग को प्राप्त होने पर संचालनालय की गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के आवेदकों के लिये तीन विकल्पों में से एक विकल्प चुने जाने हेतु संचालनालय से संबधित आवेदकों के लिये पत्र जारी किये गये। गठित समिति की अनुशंसा के अनुसार निम्न तीन विकल्पों में से एक विकल्प चुने जाने के लिये निर्देश दिये गये:–

1. भृत्य के पद पर अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार करने हेतु सहमति पत्र देवे।
2. सहायक ग्रेड–3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु वे 07 वर्ष की अवधि तक प्रतीक्षा करने हेतु सहमति पत्र देवे।
3. अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर दिवंगत शासकीय सेवक के पति/पत्नी या उनके न होने पर परिवार के सदस्यों की सर्वसम्मति से नामांकित आश्रित सदस्य को दिवंगत शास. सेवक द्वारा अंतिम आहरित वेतन 05 वर्षो तक दिये जाने हेतु सहमति पत्र देवे।

उपरोक्त दिये गये निर्देश जारी करने के उपरांत भी अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित है। जोकि अत्यन्त खेद जनक स्थिति है। अतः पुन निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले में दिनांक 29 एवं 30 जनवरी 2021 को आपके जिले में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का शिविर लगाते हुये उक्त तीन विकल्पों के संबंध में संबंधित से लिखित में सहमति पत्र प्राप्त करें। संचालनालय में प्राप्त जिलेवार प्रकरणों भी संलग्न है तथा विकल्प वार प्रकरण के निराकरण की स्थिति से संचालनालय को 01 फरवरी 2021 तक अनिवार्यतः अवगत कराए।

**संलग्नः–उपरोक्तानुसार**

25/1/21

**(जयश्री कियावत)**
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठां0 क्रमांक/स्था0–4/सी/80/अनु0नियु0/2020–21/104 भोपाल, दिनांक 25-01-21

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

25/1/21

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी,
स्कूल शिक्षा विभाग

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4371 के "ग" भाग की जानकारी (1) परिशिष्ट

# लोक शिक्षण संचालनालय,मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल-462021
दूरभाष-91-0755-2583650 फैक्स-91-0755-2583651
ई-मेल **est4-dpi@mp.gov.in**

क्रं./स्था.4/सी/80/अनु.नियु./2020-21 776
प्रति, भोपाल, दिनांक 30-06

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय-अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों को विशेष शिविर लगाकर निराकरण करने बाबत्।

संदर्भ-संचालनालय का पत्र क्र./स्था.4/सी/80/अनु.नियु./2020-21/103 दिनांक 25.01.2021।

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों को विशेष शिविर लगाकर तत्काल निराकरण करने के निर्देश प्रसारित किए गए थे। उक्त क्रम में आपके द्वारा दिनांक 29 एवं 30 जनवरी 2021 को आपके जिले में लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का शिविर लगाकर यथासंभव निराकरण की कार्यवाही की गई। तत्संबंध में आपका कार्य सराहनीय रहा है।

वर्तमान में कोविड-19 महामारी से विभाग अन्तर्गत कार्यरत अनेक लोकसेवको का असामयिक, आकस्मिक निधन हो जाने से ऐसे प्रकरणों के निराकरण के संबंध में आश्रितो के लिए म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा दिनांक 21.05.2021 को जारी ज्ञाप अनुसार "मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना" लागू की गई है तथा म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 28.05.2021द्वारा "मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना" भी लागू की गई है। तत्संबंध में संचालनालय के पत्र दिनांक 10.06.2021 द्वारा वांछित दिशा निर्देश जारी किए जा चुके है, किन्तु संचालनालय के संज्ञान में आया है कि अनेक जिलों में अभी भी विभाग के दिवंगत लोकसेवकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय किए जाने, शासन के उक्त ज्ञाप दिनांक 21.05.2021 एवं 28.05.2021 के अनुक्रम में कार्यवाही किए जाने संबंधी प्रकरण लंबित होकर विलंबित किए जा रहें है।

तत्संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले में दिनांक 12 एवं 13 जुलाई 2021 को आपके जिले में लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का विशेष शिविर लगाकर नियमानुसार त्वरित निराकरण करें एवं संचालनालय को 16 जुलाई 2021 तक अनिवार्यतः अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रं./स्था.4/सी/80/अनु.नियु./2020-21 777
भोपाल, दिनांक 30-06

प्रतिलिपिः-

1. निज सहायक, मान. राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

③ ⑧

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 1–10/2021/20–1 भोपाल दिनांक 01/02/2021

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण
म.प्र. भोपाल।

विषयः–अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण के संबंध में।

––00––

वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के अनेक प्रकरण लंबित है। इन प्रकरणों का निराकरण न होने से अनेक न्यायालयीन प्रकरण निर्मित होकर अवमानना प्रकरण भी प्रचलन में है। वर्तमान में म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 30 जुलाई 2018 दिनांक 01.07.2018 से प्रभावशील है। उक्त नियम की अनुसूची–3 के कॉलम क्रमांक–5 में शैक्षणिक अर्हता एवं कॉलम क्र.–06 में निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रावधान है।

तत्संबंध में विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में जिन आवेदकों के द्वारा आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधान अनुसार निम्न में से कोई भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो–यथा

I. केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित सी.टी.ई.टी.।
II. अन्य राज्यों द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा।
III. म.प्र. राज्य द्वारा वर्ष 2011–12 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा।

उपरोक्तानुसार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदकों के प्रकरण में पात्रता परीक्षा वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर केवल अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा।

2/ विभाग के प्रचलित भर्ती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक संवर्गीय दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर, उक्त नियमों के प्रकाश में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

3/ सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 29.09.2014 की कंडिका–6.3 में भर्ती नियमों में प्रावधानित चयन प्रक्रिया की शर्त से छूट दी गयी है। विभागीय भर्ती नियम 2018 की अनुसूची–3 में उल्लेखित प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता में पात्रता परीक्षा का उल्लेख नहीं है। अतः केवल प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा द्वारा चयन की शर्त को शिथिल किया जाता है।

1/2/21

(पी0के0 सिंह)
उप सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन

क्रमांक एफ 1–10/2021/20–1 भोपाल दिनांक 01/02/2021

प्रतिलिपिः–

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

1/2/21

उप सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग